

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा/2025-26/709

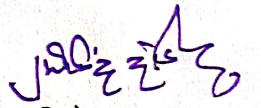
दिनांक 03/09/2025

03 SEP 2025

अति आवश्यक सूचना

विषय :- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा के संबंध में।

म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेशानुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पालको की आय सीमा का बंधन समाप्त कर दिया गया है। अतः वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालको की वार्षिक आय राशि 8 लाख से अधिक होने के कारण आवेदन से वंचित रह गये ऐसे सभी विद्यार्थी 19/09/2025 तक ऑन-लाईन आवेदन कर उसकी हार्ड कापी समस्त दस्तावेजों सहित छात्रवृत्ति विभाग में जमा करें।


निदेशक

Shri G. S. Inst. of Tech. & Sc.
INDORE - 452003 (M.P.)

प्रतिलिपि:-

- 1) समस्त नोटिस बोर्ड/होस्टल
- 2) संस्थान की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

